

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक माध्यम कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को नमस्कार है। कृपया ध्यान दें कि निम्नी मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षण पर नए पूर्ण में एक लक्ष्य है। हमें तो एक नए नए शिक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रेरित है।



नाम : कुलसचिव
दूरभाष : 0091-(0751) 2442462 (प्रमुख)
2442462 (विद्यार्थी)
फैक्स : (0091-0751-2541768
E-mail :
juresc_gwa@rediffmail.com
Website
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एक/सम्बद्धता/2012/ 5750

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (37) के निर्णयानुसार जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड रिसर्च, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. (नर्सिंग) द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता विनियम शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. पूर्व में 28(17) में नियुक्त शिक्षक छोड़कर जा चुके हैं अतः पुनः 28(17) के अन्तर्गत तीन माह के अन्दर नियुक्ति की जावे।
2. उक्त शिक्षक एवं लाइसेन्सीयन की नियुक्ति भी 28(17) के अन्तर्गत की जावे।
3. सभी शिक्षकों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावे।
4. एक लाख की पुस्तकें क्रय की जावें।
5. एक लाख के उपकरण क्रय किये जावें।
6. परिनिगम 28 का पालन किया जावे।

अदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड रिसर्च, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंकल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)